न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

प्रकरण सं0 : 10/2024

विकास कुमार पुत्र रूलीचन्द जाति मेघवाल निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1.सन्तोष उर्फ ओमपति पत्नी रूलीचन्द जाति मेघवाल निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
2.ज्योति बिवाण उर्फ सुमन पुत्री रूलीचन्द जाति मेघवाल निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
3.रूलीचन्द पुत्र नेकीराम जाति मेघवाल निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
4.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादी

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955
उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी: वादी
श्री सुरेन्द्र मील : प्रतिवादी सं0 1 ता 3

निर्णय **दिनांक :** 19.12.2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा अनूपशहर के खाता सं0 402/395 के खसरा संख्या 1025/106 की 1.265 है0,खसरा संख्या 106 की 7.082 है0, खसरा संख्या 469 की 2.529 है0, खसरा संख्या 632 की 5.881 है0 कुल खसरा 4 की 16.757 है0 बारानी भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के नाम 729/16757 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 रूलीचन्द के नाम 2190/16757 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 4 द्वारा जबावदावा पेश किया गया। तहसीलदार भादरा के पत्रांक भू0अ/24/706 दिनांक 29.08.2024 द्वारा सन्तोष उर्फ ओमपति पत्नी रूलीचन्द जाति मेघवाल निवासी अनूपशहर एक ही महिला के नाम होने तथा ज्योति बिबाण उर्फ सुमन पुत्री रूलीचन्द जाति मेघवाल निवासी अनूपशहर एक ही महिला के नाम होने संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में विकास कुमार पुत्र रूलीचन्द जाति मेघवाल निवासी अनूपशहर तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी ग्राम अनूपशहर खाता संख्या 402/395 सम्वत 2075–78 प्रदर्श 1, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत अनूपशहर प्रदर्श 2, शपथ पत्र विकास कुमार पुत्र रूलीचन्द जाति मेघवाल निवासी अनूपशहर तहसील भादरा प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने [illegible] दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि पहले वादी के दादा नेकीराम की ख[illegible]री [illegible] करती थी जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। [illegible] प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का पारिवारिक सैटलमैन्ट हो [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादभूमि में अपने हक हिस्सा की भूमि वादी के पक्ष में तर्क कर [illegible]ना हक हिस्सा शून्य कर लिया था। जिस पर उक्त वादभूमि जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से दर्ज है वह वादी को प्राप्त हो गई परन्तु रिकार्ड माल में उक्त वादभूमि आज भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज चली आ रही है। वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम ओमपति दर्ज है जबकि उसके अन्य दस्तावेजात में उसका सही नाम सन्तोष दर्ज है। प्रतिवादी सुमन का सही नाम ज्योति बिवाण है परन्तु राजस्व रिकार्ड में उनका घरू नाम उपनाम के रूप में सुमन दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.01.08 13:05:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

चला आ रहा है। इस बाबत तहसीलदार भादरा से प्राप्त रिपोर्ट 706 दिनांक 29.08.2024 के अनुसार भी सन्तोष व ओमपति एक ही औरत के नाम है व ज्योति बिबाण व सुमन भी एक ही औरत के नाम है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज वादभूमि अपने नाम करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 3 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मोजा अनूपशहर के खाता सं0 402/395 के खसरा संख्या 1025/106 की 1.265 है0,खसरा संख्या 106 की 7.082 है0, खसरा संख्या 469 की 2.529 है0, खसरा संख्या 632 की 5.881 है0 कुल खसरा 4 की 16.757 है0 बारानी भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के नाम 729/16757 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 रूलीचन्द के नाम 2190/16757 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद में प्रतिवादी सं0 1 व 2 का नाम कलमजन कर वादी विकास कुमार को प्रतिवादी सं0 1 व 2 की जगह खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काविल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा अनूपशहर के खाता सं0 402/395 के खसरा संख्या 1025/106 की 1.265 है0, खसरा संख्या 106 की 7.082 है0, खसरा संख्या 469 की 2.529 है0, खसरा संख्या 632 की 5.881 है0 कुल खसरा 4 की 16.757 है0 बारानी भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के नाम 729/16757 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 रूलीचन्द के नाम 2190/16757 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है अतः वादी विकास को 2187/16757 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 सन्तोष उर्फ ओमपति व प्रतिवादी सख्या 2 ज्योति बिबाण उर्फ सुमन का नाम कलमजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच ओमपति पत्नी रूलीचन्द व सुमन पुत्री रूलीचन्द के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में ओमपति पत्नी रूलीचन्द व सुमन पुत्री रूलीचन्द के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए ओमपति पत्नी रूलीचन्द व सुमन पुत्री रूलीचन्द नाम ही प्रभावी माना जावेगा। इस बाबत कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वयं जिम्मेदार होगे चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार [illegible] रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन [illegible] डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.12.24 को मेरे द्वारा लिखवाया [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.01.08 13:05:11 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)RAS
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

प्रकरण सं0 : 10/2024

विकास कुमार पुत्र रूलीचन्द जाति मेघवाल निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

सन्तोष उर्फ ओमपति पत्नी रूलीचन्द जाति मेघवाल निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
ज्योति बिबाण उर्फ सुमन पुत्री रूलीचन्द जाति मेघवाल निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
रूलीचन्द पुत्र नेकीराम जाति मेघवाल निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादी

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र मील की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा अनूपशहर के खाता सं0 402/395 के खसरा संख्या 1025/106 की 1.265 है0, खसरा संख्या 106 की 7.082 है0, खसरा संख्या 69 की 2.529 है0, खसरा संख्या 632 की 5.881 है0 कुल खसरा 4 की 16.757 है0 बारानी भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के नाम 729/16757 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 रूलीचन्द के नाम 2190/16757 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है अतः वादी विकास को 2187/16757 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 सन्तोष उर्फ ओमपति व प्रतिवादी सख्या 2 ज्योति बिबाण उर्फ सुमन का नाम कलमजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच ओमपति पत्नी रूलीचन्द व सुमन पुत्री रूलीचन्द के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में ओमपति पत्नी रूलीचन्द व सुमन पुत्री रूलीचन्द के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए ओमपति पत्नी रूलीचन्द व सुमन पुत्री रूलीचन्द नाम ही प्रभावी माना जावेगा। इस बाबत कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वयं जिम्मेदार होगे चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.01.08 13:05:11 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner